(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II-खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 20/2015–20
नई दिल्ली, दिनांकः 07 सितम्बर, 2015

विषयः– चीनी की निर्यात नीति।

सा.आ. (अ.) विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना संख्या 3/2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करतो है।

2. दिनांक 20.04.2015 की अधिसूचना सं0 3/2015–20 के अनुसार

मौजूदा प्रविष्टियां

अध्याय 17
चीनी और चीनी से बने मिष्ठान

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	यूनिट	मद का ब्यौरा	निर्यात नीति	प्रतिबंध की प्रकृति
93	17010000	किग्रा.	(क) चीनी*	मुक्त	विदेश व्यापार महानिदेशालय में मात्रा का पूर्व पंजीकरण
		किग्रा.	(ख) सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी	मुक्त	उद्गम का प्रमाण–पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। निर्यातकों को अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार मुम्बई के साथ– साथ एपीडा, नई दिल्ली के पास वास्तविक निर्यातों के विवरण (अर्थात् मात्रा, मूल्य, गन्तव्य विदेशी क्रेता का नाम और पता आदि) प्रस्तुत करने होंगे। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अधीन होगा।
		किग्रा	(ग) टीआरक्यू कोटा के तहत यूएसए को चीनी	मुक्त	कोटे का प्रचालन एपीडा द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले तौर–तरीकों और कार्यात्मक दिशा–निर्देशों के अनुसार एपीडा, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। निर्यातकों को एपीडा, नई दिल्ली के

					पास वास्तविक निर्यातों के विवरण (अर्थात् मात्रा, मूल्य, गन्तव्य, विदेशी क्रेता का नाम और पता आदि) प्रस्तुत करने होंगे। उद्गम का प्रमाण–पत्र यदि आवश्यक हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अधीन होगा।

* चीनी में कार्बनिक चीनी शामिल है। तथापि, भेषजीय श्रेणी की चीनी [(i) सुक्रोज आईपी/बीपी/ईपी/यूएसपी/जेपी और (ii) सुक्रोज एआर और एलआर] और विशिष्ट चीनी [(i) शुगर क्यूब (ii) शुगर शैसे (सफेद और भूरा) (iii) कैस्टर शुगर (iv) डेमरारा शुगर (v) लाइट ब्राउन शुगर (vi) आइसिंग शुगर (vii) फांडेन्ट आइसिंग शुगर (viii) कथली शुगर (ix) कैन्डी शुगर (x) रेनबो शुगर (xi) पर्ल शुगर और (xii) ट्रिमोलीन (इन्वर्ट शुगर)] का निर्यात पंजीकरण की शर्त के बिना होगा।

अध्याय 17 की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी

टिप्पणी 1

हटा दी गई है।

टिप्पणी 2

किसी मात्रात्मक सीमा के बगैर कार्बनिक चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी के निर्यात के 'मुक्त' रहने तक होगी। ऐसा निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(i) चीनी को कार्बनिक चीनी के रूप में एपीडा द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए।
(ii) आनलाइन पद्धति के माध्यम से विदेश व्यापार महानिदेशालय में मात्रा का पूर्व पंजीकरण।

<u>संशोधित प्रविष्टियाँ</u>

अध्याय 17
चीनी और चीनी से बने मिष्ठान

क्रम सं0	टैरिफ मद एचएस कोड	यूनिट	मद का ब्यौरा	निर्यात नीति	प्रतिबंध की प्रकृति
93	17010000	किग्रा.	(क) चीनी	मुक्त	
		किग्रा.	(ख) सीएक्सएल कोटा के तहत यूरोपीय संघ को चीनी	मुक्त	उद्गम का प्रमाण–पत्र अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। निर्यातकों को अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार मुम्बई के साथ– साथ एपीडा, नई दिल्ली के पास वास्तविक निर्यातों के विवरण (अर्थात् मात्रा, मूल्य, गन्तव्य विदेशी क्रेता का नाम और पता आदि)

					प्रस्तुत करने होंगे। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अधीन होगा।
		किग्रा	(ग) टीआरक्यू कोटा के तहत यूएसए को चीनी	मुक्त	कोटे का प्रचालन एपीडा द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले तौर–तरीकों और कार्यात्मक दिशा–निर्देशों के अनुसार एपीडा, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा। निर्यातकों को एपीडा, नई दिल्ली के पास वास्तविक निर्यातों के विवरण (अर्थात् मात्रा, मूल्य, गन्तव्य विदेशी क्रेता का नाम और पता आदि) प्रस्तुत करने होंगे। उद्गम का प्रमाण–पत्र यदि आवश्यक हो, अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मात्रात्मक सीमा के अधीन होगा।

अध्याय 17 की निर्यात लाइसेंसिंग टिप्पणी

टिप्पणी 1

हटा दी गई है।

टिप्पणी 2

किसी मात्रात्मक सीमा के बगैर कार्बनिक चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी के निर्यात के 'मुक्त' रहने तक होगी। ऐसा निर्यात चीनी को कार्बनिक चीनी के रूप में एपीडा द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किए जाने की शर्तों के अधीन होगा।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

चीनी के निर्यात के लिए डीजीएफटी क साथ मात्रा के पंजीकरण की शर्त को समाप्त कर दिया गया है।

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/180/879/एएम08/निर्यात सैल (पार्ट) से जारी)